

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 660
03 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

कृषि उपज का भंडारण

660. श्री देवेश शाक्य:

श्री नीरज मौर्य:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या खाद्य उपभोक्ता अवसंरचना और कृषि विपणन योजना के तहत कृषि उपज के भंडारण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गोदाम/भंडारण इकाइयां स्थापित की जा रही हैं;
- (ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान एटा, कासगंज, कन्नौज, मैनपुरी, औरैया और आंवला (बरेली) जिलों में उक्त योजना के अंतर्गत ग्रामीण भंडारण के लिए स्वीकृत और निर्मित भांडागारों की वर्ष-वार कुल संख्या कितनी है;
- (ग) उक्त जिलों में निर्मित/सृजित भंडारण क्षमता (मीट्रिक टन में) कितनी है;
- (घ) इन परियोजनाओं पर खर्च की गई कुल धनराशि जिले-वार और वर्ष-वार कितनी है;
- (ङ.) क्या सरकार का विचार उक्त जिलों में भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए भविष्य में अतिरिक्त परियोजनाओं को मंजूरी देने का है; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी), भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत क्षमता सृजन करके अपनी भंडारण क्षमता बढ़ा रहा है:-

1. निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजनाएँ
2. केंद्रीय क्षेत्र योजना 'भंडारण एवं गोदाम', पूर्वोत्तर राज्यों पर केंद्रित
3. परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना
4. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत साइलो का निर्माण

उपरोक्त के अतिरिक्त, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएफडब्ल्यू) दिनांक 01.04.2001 से वैज्ञानिक भंडारण क्षमता सृजन हेतु पूंजीगत सब्सिडी योजना, ग्रामीण गोदाम योजना (आरजीएस) और भंडारण कृषि विपणन अवसंरचना के अलावा सृजन हेतु दिनांक 20.10.2004 से कृषि विपणन अवसंरचना श्रेणीकरण एवं मानकीकरण (एएमआईजीएस) का कार्यान्वयन कर रहा है। दोनों योजनाओं को दिनांक 01.04.2014 से एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम) की उप-योजना "कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई)" के रूप में समाहित कर लिया गया है और इसे अपने संबद्ध कार्यालय, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) से (घ): संदर्भित जिले में एफसीआई की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के तहत स्वीकृत क्षमताएं नीचे तालिकाबद्ध हैं:-

| योजना | एटा | कासगंज | कन्नौज | मैनपुरी | औरैया | बरेली |
|----------------------|-----|--------|--------|---------|-------|-------|
| पीईजी | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| परिसंपत्ति मुद्रीकरण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| साइलो | 0 | 0 | 50000 | 0 | 25000 | 0 |

इसके अलावा, कन्नौज में 50,000 टन क्षमता का एक साइलो प्रचालन में है।

चूँकि ये योजनाएँ सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में संचालित की जा रही हैं, इसलिए इन परियोजनाओं पर कोई धनराशि खर्च नहीं की जाती है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान एटा, कासगंज, कन्नौज, मैनपुरी, औरैया और आंवला (बरेली) जिलों में इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत और निर्मित ग्रामीण भंडारण गोदामों की कुल संख्या का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

| जिलों का नाम | 2024-25 | | | 2023-24 | | | 2022-23 | | |
|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| | सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या | भंडारण क्षमता (टन में) | जारी की गई सब्सिडी (लाख रुपये में) | सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या | भंडारण क्षमता (टन में) | जारी की गई सब्सिडी (लाख रुपये में) | सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या | भंडारण क्षमता (टन में) | जारी की गई सब्सिडी (लाख रुपये में) |
| एटा | 2 | 8024 | 0.00 | 1 | 3900 | 16.50 | 1 | 4000 | 30.00 |
| कासगंज | 1 | 3836 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| कन्नौज | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| मैनपुरी | 1 | 4947 | 27.98 | 2 | 8301 | 24.32 | 1 | 4863 | 0.00 |
| औरैया | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4819 | 13.32 | 0 | 0 | 0.00 |
| आंवला (बरेली) | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 8385 | 32.44 | 0 | 0 | 0.00 |
| उत्तर प्रदेश राज्य के सभी जिलों का कुल योग | 33 | 138889 | 742.60 | 28 | 114870 | 1486.00 | 31 | 124981 | 95.58 |

(ड.) और (च): एफसीआई में भंडारण क्षमता की आवश्यकता मुख्यतः चावल और गेहूँ के लिए खरीद के स्तर, बफर मानदंडों की आवश्यकता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) प्रचालन पर निर्भर करती है। एफसीआई भंडारण क्षमता का निरंतर आकलन और निगरानी करता है और भंडारण अंतराल के आकलन के आधार पर, आवश्यकतानुसार भंडारण क्षमताएँ सृजित/किराए पर ली जाती हैं।

जहाँ तक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का प्रश्न है, कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) एक मांग-आधारित योजना है, हालाँकि, इस योजना के अंतर्गत आबंटित बजट का पूर्ण उपयोग हो चुका है और आगे कोई धनराशि उपलब्ध नहीं है। इसलिए, आईएसएम की एएमआई उप-योजना का कार्यान्वयन दिनांक 10.06.2025 से स्थगित कर दिया गया है।
